(107)

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

रिमाण्ड पत्रावली नामान्तकरण संख्या 341 वाके ग्राम पाय पत्रावली संख्या 6/2011 उनवान विजयसिंह बगैरा बनाम भंवरसिंह बगैरा

निर्णय :– दिनांक 02.03.2017

सूक्ष्म वृतान्त यह है कि कार्यालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा के आदेश कमांक/राजस्व/कोर्ट/11/751 दिनांक 27.07.2011 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि न्यायालय उपखण्डाधिकरी धौलपुर द्वारा अपील संख्या 11/99 उनवान विजयसिंह बगैरा बनाम भंवरसिह बगैरा में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2001 के अनुसार कार्यवाही की जावे। न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2001 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 341 वाके ग्राम पाय को निरस्त कर तहसीलदार राजाखेडा को प्रकरण इस आशय से रिमाण्ड किया गया कि वह दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर वसीयत की बैधता व प्रभाव को ध्यान में रखते हुये पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निर्णय की पालना में उभय पक्षकारान को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड वसीयतनामा की प्रमाणित छायाप्रति, मृतक वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र नकल जमावन्दी खसरा नम्बर 222 रकवा 1–05 वीघा, 223 रकवा 0–01 वीघा, 224 रकवा 2–01 वीघा वाके ग्राम पाय प्रस्तुत किया गया। तथा अपीलान्ट विजयसिंह व गबाह नत्थीलाल पुत्र पालसिह द्वारा बयान दर्ज कराये गये।इसके अलावा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र 013,10 सी.पी.सी, लिखित जबाव व लिखित बहस व प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय की निर्णय की छायाप्रति व जबाव प्रार्थना पत्र धारा 65 व रेस्पोडेन्ट भगवानसिंह का शपथ पत्र व गबाह छीतरिया पुत्र श्यामसुन्दर ब्राम्हण का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ –साथ बयान भी दर्ज कराये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने पत्रावली में उपलब्ध उभय पक्षकारान के दस्तावेज, बयान का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट के विद्वान वकील साहब द्वारा एक विन्दु यह अंकित किया कि उक्त प्रकरण का अप्रेल 2005 में निर्णय किया जाकर पूर्व में विरासत के आधार पर तस्दीक इन्तकाल को यथावत रखा गया था परन्तु रेस्पोडेन्ट की तरफ से उक्त निर्णय की कोई छायाप्रति प्रस्तुत नही की है मात्र प्रार्थना पत्र के अनुसार अनुमान से अंकित कर देने से उक्त तर्क की पुष्टि नही हो सकती है लिहाजा प्रार्थना पत्र 013, 10 सी.पी.सी अस्वीकार किया जाता है। इसके अलावा द्वितीय विन्दु रेस्पोडेन्ट की ओर से यह अंकित किया है कि मृतक भूपसिंह द्वारा उक्त वसीयत ग्राम मरैना से सम्बन्धित की गई है तथा ग्राम पाय की भूमि का हबाला नही है। हमने वसीयतनामा का अवलोकन किया तो पाया गया कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि उसकी चल व अचल सम्पत्ति जो भी छोडकर मर जाऊ सवके मालिक दीवानसिंह व विजयसिंह पिसरान बुद्वा होगे अतः रेस्पोडेन्ट की ओर से यह तर्क में स्वीकार योग्य नही है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट विजयसिंह द्वारा अपने बयान में यह जाहिर किया है कि मृतक भूपसिंह अपीलान्ट विजयसिंह, दीवानसिंह के साथ रहता था तथा भूपसिंह के व दीवानसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कराई गई थी तथा उनके द्वारा पेश गबाह छीतरिया द्वारा भी यह महत्वपूर्ण बयान दर्ज कराया गया कि मृतक भूपसिंह का दाहसंस्कार विजयसिंह व दीवानसिंह ने किया था। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व बयान से यह सिद्व होता है कि वसीयतकर्ता

तहसीलदार

(108)

...ह अपने जीवन काल में अपीलान्ट विजयसिंह व दीवानसिंह के साथ ही रहता है तथा मृतक ...सिंह के कोई औरत व सन्तान नही थी।

अतः पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर हम यह पाते है कि मृतक भूपसिंह के कोई औरत व औलाद नही थी तथा वह अपीलान्ट के साथ ही रहता था तथा वसीयत उप पंजीयक राजाखेडा के यहॉ दिनांक 12.08.1980 को रजिस्टर्ड कराई गई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सावित हो सके कि उक्त पंजीकृत वसीयतनामा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा को निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त वसीयत प्रभावी है। साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोन्डेट भगवानसिंह द्वारा भी अपने बयानों में उक्त वसीयत मृतक भूपसिंह द्वारा कराई जाना जाहिर किया है लिहाजा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण सं0 341 वाके ग्राम पाय में अंकित मृतक भूपसिंह के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 222, 223, 224 पर वसीयत ग्रहीता विजयसिंह, दीवानसिंह पिसरान बुद्धा कौम लोधा के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है तदनुसार नामान्तकरण की पुश्त पर निर्णय का नोट अंकित किया जावे तथा निर्णय की छायाप्रति पटवारी हल्का मरैना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

दिनांक 02.03.2017
स्थान :– राजाखेडा

(हस्ताक्षर)
(पुरूषोत्तमलाल)
तहसीलदार राजाखेडा
जिला धौलपुर (राजस्थान)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) राजाखेड़ा
क्र० भू०अ०/17/497 दिनांक 02/3/17

पटवारी हल्का मरैना को निर्णय की छायाप्रति पालनार्थ प्रेषित है। (हस्ताक्षर)

पृष्ठ
आदि
पटवारी

तहसीलदार (भू.अ.)
राजाखेड़ा (धौलपुर)